न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रूकाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 112/2025
निर्णय दिनांक ...13/06/25........

रूकाराम पुत्र लालू राम जाति कुम्हार निवासी करणपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा करणपुरा पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं 100 तादादी 1.6691, हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 0.5943 हैक्ट., खसरा नं. 382/56 तादादी 1.4289 हैक्ट., खसरा नं. 386/71 तादादी 1.9600 हैक्ट., खसरा नं. 97 तादादी 2.0864 हैक्ट. कुल तादादी 7.7387 हैक्ट. में से हिस्सा 1/4–1/4 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा करणपुरा पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम की जगह रूकमानन्द पुत्र लालू उर्फ पुरखा व रूगाराम पुत्र लालू उर्फ पुरखा गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का अन्य सभी दस्तावेज जैसे जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड में सही नाम रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम है। प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा करणपुरा पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं 100 तादादी 1.6691, हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 0.5943 हैक्ट., खसरा नं. 382/56 तादादी 1.4289 हैक्ट., खसरा नं. 386/71 तादादी 1.9600 हैक्ट., खसरा नं. 97 तादादी 2.0864 हैक्ट. कुल तादादी 7.7387 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण का नाम रूकमानन्द पुत्र लालू उर्फ पुरखा व रूगाराम पुत्र लालू उर्फ पुरखा व रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड में प्रार्थीगण का रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम रूकमानन्द पुत्र लालू उर्फ पुरखा व रूगाराम पुत्र लालू उर्फ पुरखा अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही करणपुरा पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं 100 तादादी 1.6691, हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 0.5943 हैक्ट., खसरा नं. 382/56 तादादी 1.4289 हैक्ट., खसरा नं. 386/71 तादादी 1.9600 हैक्ट., खसरा नं. 97 तादादी 2.0864 हैक्ट. कुल तादादी 7.7387 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम **रूकमानन्द पुत्र लालू उर्फ पुरखा व रूगाराम पुत्र लालू उर्फ पुरखा Delete** कर इसके स्थान पर **रूकाराम पुत्र लालू राम व रूघाराम पुत्र लालू राम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......13/06/25.. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)